बागवानी मिशन
Horticulture Mission

कार्यालय
निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com
बैवसाईटः shm.uk.gov.in

पत्रांक 541 /HMNEH/Bee Keeping/Firm Registraion/2017-18 दिनांकःदेहरादूनः 31 मई/2017

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित की जा रही Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेटस (HMNEH) योजनान्तर्गत मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through beekeeping) घटक के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक मधुमक्खी पालन हेतु मौनवंश, मौन बॉक्स व उपकरण के मूल उत्पादक/निर्माता फर्मों/कम्पनियों का पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 20.06.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिन्हें विभागीय गठित समिति द्वारा उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे खोला जायेगा।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप, शर्ते तथा सूची दिनांक 19.06.2017 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से मूल्य ₹2290/–(रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की बेवसाइट www.shm.uk.gov.in एवं www.horticultureuttrakhand.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु ₹2290/–(रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

(बी0एस0 नेगी)
निदेशक, बागवानी मिशन

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through Beekeeping) घटक के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन हेतु मौनवंश, मौन बॉक्स व उपकरण के मूल उत्पादक निर्माता कम्पनियों/व्यवसाईयों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें व नियम

बागवानी मिशन योजनान्तर्गत मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through beekeeping) घटक के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन हेतु मौनवंश, मौन बॉक्स व उपकरण (Honey bee colony, Bee Hives and equipments) हेतु मूल उत्पादक निर्माता कम्पनियों/व्यवसाईयों से वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं:–

अ) पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें

1) कम्पनियों/व्यवसाईयों को पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म विक्री कर सहित रू0 2290/– (रूपये दो हजार दो सौ मात्र) में उपलब्ध होगा, जो कि उपरोक्त कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर दिनांक 19.06.2017 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 20.06.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किये जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 20.06.2017 को अपरान्ह् 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा। फार्म क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (डी0–2) या प्रपत्र का मूल्य रू0 2290/– (रूपये दो हजार दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के पक्ष में देय हो, को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कम्पनी/व्यवसायी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in या www.horticultureuttrakhand.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे जमा करने हेतु रू0 2290/–(रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य कम्पनी/व्यवसायी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
3) किसानों/मौनपालकों को सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्‌देश्य से कम्पनियों/व्यवसाईयों का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।
4) यदि निर्माता कम्पनियां/व्यवसायी देश के बाहर के हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त कम्पनियां/व्यवसायी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित कम्पनियां/व्यवसायी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
5) मौनपालक उक्त सन्दर्भित कार्यों हेतु विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी कम्पनी/व्यवसायी से मौनवंश, मौनबाक्स तथा उपकरण प्राप्त कर सकता है।
6) विभाग से मौनपालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को ही लाभान्वित किया जायेगा, जिस हेतु आवेदन के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7) मौनवंशों की आपूर्ति के उपरान्त 01 वर्ष तक निःशुल्क सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।
8) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, कम्पनी/व्यवसायी को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैट एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

9) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत कम्पनी/व्यवसायी के साथ विवाद की स्थिति में कम्पनी/व्यवसायी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

10) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2022 तक होगी।

11) कम्पनी/व्यवसायी को पंजीकरण हेतु रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारन्टी या सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से देय हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2022 तक होनी अनिवार्य है।

12) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

13) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

14) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2022 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

15) कम्पनी/व्यवसायी द्वारा मौनबाक्स, मौनवंश एवं उपकरण की आपूर्ति के उपरान्त विभाग को मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउन्ट पेई चैक से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर ही राजसहायता की धनराशि एकाउन्ट पेई चैक से कम्पनी/व्यवसायी को निर्गत की जा सकेगी।

16) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

17) कम्पनी/व्यवसायी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो कम्पनी/व्यवसायी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। सत्यता के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

18) आवश्यक अभिलेखः–

i. कम्पनी/व्यवसायी को प्रपत्र–1 पर सम्बन्धित घटक की दर अंकित कर संलग्न करनी होगी।
ii. कम्पनी/व्यवसायी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण।
iii. देश से बाहर की कम्पनी/व्यवसायी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण एवं Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण संलग्न करना होगा।
iv. सम्बन्धित घटक के कार्य का दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण।
v. 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी एवं निःशुल्क सेवा प्रदान करने का शपथ पत्र।
vi. कम्पनी/व्यवसायी की प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें कम्पनी/व्यवसायी के कार्यालय का पता, कम्पनी/व्यवसायी के स्वामी का नाम, कम्पनी/व्यवसायी के निदेशक, कम्पनी/व्यवसायी के साझेदारों का नाम, कर्मचारियों की संख्या एवं पदनाम एवं उनके पास उपलब्ध मौनवंशों की संख्या प्रजातिवार अंकित हो।
vii. कम्पनी/व्यवसायी का टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति।
viii. कम्पनी/व्यवसायी के पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति।

ब) पंजीकरण हेतु अन्य अनिवार्य शर्तें

1. मौनगृह पूर्णतया तुन अथवा बी0आई0एस0 मानकों के अनुरूप उपलब्ध लकड़ी से निर्मित एवं सिल्वर पेन्ट किये होने चाहिये तथा टॉपकवर पर 26 गेज जी0आई0 टिनशीट लगी होनी चाहिये।
2. मौनगृह के निर्माण हेतु राजकीय मौन पालन केन्द्र, ज्योलीकोट द्वारा निर्धारित मानकों/मापों को संलग्न नक्शे में दिया गया है अथवा बी0आई0एस0 के **'टाईप–ए'** (मेलिफेरा) तथा **'टाईप–बी'** (सेरेना) के अनुसार आपूर्तिकर्ता को मौनगृहों का निर्माण कर आपूर्ति करनी होगी।
3. भारतीय मौन के लिए मौनगृह का तलपट शिशुखण्ड से जुड़ा न हो तथा मैलीफेरा मौनगृह का तलपट शिशुखण्ड से जुडा हुआ होना चाहिये।
4. मौनगृहों के फ्रेमों की नाप व तार सही परिमाप में लगी होनी चाहिये तथा फ्रेम के तारों को आयलैट से कसा जाना चाहिये।
5. भारतीय मौन इण्डिका के मौनगृह के तलपट में एक जोड़ व मैलीफेरा के तलपट पर दो से अधिक जोड़ नहीं होने चाहिये।
6. मौनवंश 08 फ्रेम रानी सहित आपूर्ति किया जाना है, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी।

i- रानी मधुमक्खी की आपूर्ति विशेष रूप से स्थापित प्रजनन मौनालय से ही की जायेगी।

ii- आपूर्ति किये जाने वाले सभी मौनवंश पूर्णतया रोग एवं माइट मुक्त होगें।

iii- 08 फ्रेम के मौनवंश में 05 फ्रेम ब्रूड, 03 फ्रेम भोजन (शहद तथा परागयुक्त) हेतु होगें। साथ ही सभी फ्रेम मधुमक्खियों से भरे होने चाहिये।

iv- मौनवंशों के साथ आपूर्ति की जा रही रानी पूर्ण रूप से स्वस्थ्य एवं नई होगी तथा आपूर्ति किये जा रहे मौनवंशों के छत्ते 01 वर्ष से अधिक पुराने नहीं चाहिये।

v- मौनवंश प्रजनन/आपूर्ति कर्ता के सभी मौनवशों पर उनको नेशनल बी0 बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का अंकन तथा मौनवशों के क्रमांक को भी अंकन करना होगा।

vi- आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किये गये मौनवंश की रानी की विवरण (रानी तैयार करने का माह व वर्ष) का भी अंकन क्रमवार करना होगा।

7. पंजीकृत कम्पनी/व्यवसायी द्वारा दरों के साथ प्रत्येक मौनगृहों के 02 नमूने भी उपलब्ध कराने होगें, जिन पर स्पष्ट रूप से आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिये। गठित समिति द्वारा मौनगृह उपयुक्त पाये जाने पर पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। पंजीकृत कम्पनी/व्यवसायी के मौनबाक्स का 01 नमूना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड में व दूसरा नमूना जिस पर पंजीकरण अधिकारी एवं आपूर्तिकर्ता दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे जो आपूर्तिकर्ता के पास रहेगा ताकि क्रय करते समय विभागीय कर्मचारी एवं लाभार्थी मौनगृहों का मिलान कर गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो सकें।
8. मौनगृहों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग में पंजीकृत इकाइयां, कम्पनी/व्यवसायी ही पात्र होगें।
9. मौनवंशों की आपूर्तिकर्ता कम्पनी/व्यवसायी के पास न्यूनतम 250 मौनवंशों के मौनालय का पंजीकरण नेशलन बी बोर्ड से होने के साथ–साथ उसके पास बी ब्रीडिगं में प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
10. कम्पनी/व्यवसायी को इस आशय का इकरारनामा करना होगा कि वह दी गयी दरों पर चयनित लाभार्थियों को मौनगृह/मौनवंश एवं उपकरण उनकी मांग के अनुसार निर्धारित समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराने होगें। पंजीकृत कम्पनी/व्यवसायी को बागवानी मिशन व अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मौनगृह आपूर्ति करने हेतु विभागीय आपूर्तिकर्ता के रूप में नामित किया जायेगा।

11. मौनगृहों/मौनवंशों के जिला मुख्यालय तक ढुलान करने में यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिये विभाग अथवा चयनित लाभार्थी उत्तरदायी नहीं होगा।

12. कम्पनी/व्यवसायी को पंजीकरण फार्म पर जहां वह निवास करता है अथवा कार्यालय आदि का पूर्ण पता, पिनकोड नम्बर सहित टेलीफोन, मोबाईल नंबर एवं ईमेल दिये गये कॉलम में भरकर देना होगा ताकि उक्त पते/दूरभाष नम्बर पर चयनित लाभार्थी एवं विभागीय कार्मिकों द्वारा सम्पर्क किया जा सके।

13. निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून को किसी भी एक अथवा अन्य समस्त पंजीकरण को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. कम्पनी/व्यवसायी को प्रत्येक मौनगृह पर विभागीय योजना वर्ष आदि का विवरण स्टील की पत्ती लगाकर अथवा गुदवाकर देना होगा।

15. मौनपालक मौनगृहों/मौनवंशों हेतु विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही मौनपालक अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/मौनपालक व्यवसाई से क्रय कर सकता है।

16. पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत कम्पनी/व्यवसायी द्वारा मौनगृहों/मौनवंशों की आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है एवं विवाद की स्थिति में या निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

17. कम्पनी/व्यवसायी द्वारा गुणवत्ताहीन मौनगृह, मौनवंश एवं उपकरण की आपूर्ति करने, निर्धारित मानकों का पालन न करने एवं नमूने के रूप में उपलब्ध कराये गये मौनगृहों के अनुसार आपूर्ति न करने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर भविष्य के लिए विभागीय स्तर से ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है एवं बैंक गारन्टी भी जब्त की जा सकती है।

18. अनुमन्य अधिकतम लागत एवं देय राजसहायता का विवरणः–

क्र0 सं0	घटक	इकाई	अनुमन्य लागत प्रति इकाई (रू0 में)	देय राजसहायता प्रति इकाई (रू0 में)
मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through beekeeping)				
1.	Honey Bee Colony (Melifera Italian Bee, 8 frames with Queen)	No.	2000.00	800.00
2.	Bee Hives (LT Size, Toon wood or any other wood as per BIS norms, 10 frame size with super)	No.	2000.00	800.00
3.	Bee Hives Jyolikote Villagers Size Toon Wood or any other wood as per BIS norms, 8 frame size with super	No.	2000.00	800.00
4.	Bee Colony Apis cerana indica, 8 frame with Queen	No.	2000.00	800.00
5.	Equipment including honey extractor Stainless Steel ISI Standards (4 frame size), food grade container (30 kg. net), including complete set of Bee Keeping Equipments	No.	20000.00	8000.00

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through beekeeping) घटक के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन हेतु मौनवंश, मौन बॉक्स व उपकरण के मूल उत्पादक/निर्माता फर्मों/कम्पनियों के दरों हेतु प्रारूप

विभागीय कैश रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या:– .... दिनांक:– ....

धनराशि:– ₹2290/–

क्र0 सं0	घटक	इकाई	प्रति इकाई दर समस्त कर सहित (रू0 में)
मधुमक्खी पालन द्वारा परागण को बढ़ाना (Pollination support through beekeeping)			
1.	Honey Bee Colony (Melifera Italian Bee, 8 frames with Queen)	No.	
2.	Bee Hives (LT Size, Toon wood or any other wood as per BIS norms, 10 frame size with super)	No.	
3.	Bee Hives Jyolikote Villagers Size Toon Wood or any other wood as per BIS norms, 8 frame size with super	No.	
4.	Bee Colony Apis cerana indica, 8 frame with Queen	No.	
5.	Equipment including honey extractor Stainless Steel ISI Standards (4 frame size), food grade container (30 kg. net), including complete set of Bee Keeping Equipments	No.	

फर्म/कम्पनी/व्यवसायी का नाम ....

फर्म/कम्पनी/व्यवसायी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

फर्म/कम्पनी/व्यवसायी की मोहर ....